



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1947 (श10)
(सं० पटना 1396) पटना, मंगलवार, 19 अगस्त 2025

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2025

सं०-01/स्था० राज०-331/2025-1217—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली-2016” में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ—

- (1) यह नियमावली “बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली-2025” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो बिहार सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. बिहार ईख सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2016 के नियम-8 का संशोधन।—उक्त नियमावली के नियम-8 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“ 8 शैक्षणिक योग्यता—संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बी० कार्तिकेय धनजी,
सरकार के सचिव।

The 14th August 2025

No. 01/Estb.Gazz-331/2025/1217—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules; "**Bihar Sugarcane Service (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2016** ", as amended from time to time:

1. Short title, extent and commencement

- (1) These, rules may be called the "Bihar Sugarcane Service (Recruitment and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2025.
- (2.) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3.) It shall come into force on such date as the State Government, may by notification in the official Gazette, appoint.

2. Amendment of Rules-8 "Bihar Sugarcane Service (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2016. Rule 8 of the said Rules shall be substituted as follows :-

“ 8. Educational Qualification - The minimum educational qualification for direct recruitment to the basic category of posts in the cadre shall be a Bachelor's Degree in Agricultural Science from a recognized Agricultural University/ Institute/ Central University (Faculty of Agriculture).”

By Order of the Governor of Bihar
B. Kartikey Dhanji,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1396-571+1000-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>